

## महत्वपूर्ण एवं खास

पिता के साथ अस्पताल आया बालक हुआ

## लापता



न्याय साक्षी/रायगढ़। खरसिया अस्पताल से अपने पिता के साथ अपनी मां का इलाज कराने के जी.एच.आया बालक (12 साल) दिनांक 03.10.19 के शाम को 05:00 बजे पानी बाटल लेने से अस्पताल से बाहर दुकान आया था जो कहीं चला गया है। बालक के पिता ने मार्केट में तथा अपने रिसेवरों के पास पता किये कि न्याय बालक का पता नहीं चला जिस पर आज दिनांक 07.10.19 को थाना कोतवाली में बालक के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराया, रिपोर्ट पर अप.क्र. 870/19 धारा 363 भाद्रि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

## फूड एंड सेफ्टी लायसेंस के लिए केंप

## लगायेगा चेंबर

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉर्मस एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में शीघ्र ही फूड एंड सेफ्टी लायसेंस के लिए केंप आयोजित किए जाएंगे। जिसके लिए विभाग द्वारा चेंबर को आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची सौंधी गई है जिसके अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रीता, निर्माता और पैकेजिंग करने वाले जिन व्यापारी बधुओं का टर्नओवर 12 लाख से कम है। उन्हें अपना आवेदन फार्म तथा 100 प्रतिवर्ष अधिकतम 5 वर्ष का चालान हटाकर अपने बिजली बिल बोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड दुकानदार के दो प्रतीयों में फोटो, कारोबार की सूची जैसे विक्रय करते हैं या निर्माता करते हैं दुकान होने का सबूत और एक ईमेल आईडी चेंबर के दफ्तर तक पहुंचानी है। ठीक उसी तरह जिन व्यापारी भाइयों का टर्नओवर 12 लाख से ऊपर है उन्हें इस सभी दस्तावेजों के अलावा विक्रय स्थल का फोटो तथा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का फार्म भरकर देना है तथा शुल्क के रूप में व्यापारी होने की दशा में 2000 निर्माता होने की दशा में 3000 और पैकेजिंग करने वाले प्रतिष्ठानों की 5000 की धनराशि का चालान पठाना है। चालान का हेड जीरो 210 मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, 04 पब्लिक हेल्थ, 104 शुल्क एंड शास्ति तथा 0754 अन्य प्राप्ति शुल्क एवं शास्ति है। अधिक जानकारी एवं फार्म के लिए चेंबर अध्यक्ष गणेंद्र अग्रवाल सीमेंट दुकान कवर चौक सचिव हीरा मोटवानी श्याम टाकीज रोड, प्रदेश मंत्री राजेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ एग्रोवेट दवा दुकान ट्रैफिक थाना के पास, अनिल गर्ग गर्ग हाईवेर अग्रसेन चौक से प्रास की जा सकती है कृष्णा फार्म को सही-सही एवं स्पष्ट अक्षरों में भरकर लाए। चालान जमा करने में कोई परेशानी हो तो चेंबर पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉर्मस विगत दिनों नापतोल विभाग के सहयोग से नापतोल उपरणों के सत्यापन का शिविर लगाया था जिसमें लगभग 450 व्यापारी बधु लाभान्वित हुए थे।

## मंदिरों में चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4

## महिलाएं गिरफ्तार

दुर्ग (आरएनएस)। नवरात्रि पर्व के दौरान चंडी मंदिर व पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग में महिलाओं के पहने हुए सोने की चैन व मंगलसूत्र चुराने वाली महिला गैंग की चार सदस्यों को कोतवाली पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। चारों महिलाएं कलमना नागपुर (महाराष्ट्र) की निवासी हैं। गिरोह के पुरुष सदस्यों की पुलिस तलाश कर रही है। दुर्ग सीएसपी विवेक शुक्ला ने बताया कि पुलिस अधीक्षक प्रधार पांडेय द्वारा नवरात्रि पर्व के दौरान शांति सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं अपराधिक तत्वों के धर-पकड़ हेतु निर्देश जारी किए गए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) दुर्ग रोहित झा के मार्गदर्शन में लागतार पैदल यात्रियों की सुरक्षा एवं भी-भाड़ वाले स्थानों एवं मरियों में दर्शनार्थियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यवस्था लगाई गई थी। 3 अक्टूबर को प्रातः 6 से 8 बजे तक योगदान दिया गया। इसके बाद थाने के स्टाफ द्वारा नवागढ़ थाने में महिला के संबंध में जानकारी लिया गया जिसमें जानकारी हनुमान मंदिर के पास गति 10 बजे मंदिर दर्शन के दौरान किसी अंजाम व्यक्ति द्वारा उसके गले में पहने सोने का ढाई तोले का हार चोरी कर लिया गया था।

## जेवरा सिरसा शराब भट्टी लूट के मामले का खुलासा, अंतर्रज्यीय डैकेत गिरफ्तार

दुर्ग (आरएनएस)। जेवरा-सिरसा शराब भट्टी में हुई डेढ़ लाख की लूट के मामले में अरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। अंतर्रज्यीय डैकेत गिरोह से जुड़े आरोपी को गिरफ्तार कर उनसे घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल, मोबाइल लूट की रकम एवं देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गत 26 सितंबर को जेवरा सिरसा शराब भट्टी के सुपरबाइजर उमेश वर्मा रात्रि 10 बजे शराब भट्टी की बिक्री रकम 1 लाख 50 हजार रुपए की काला रंग के बैग में भरकर मोटर सायकल से अपने घर कृष्णा नगर सुपेला नहर नाली रोड तरफ से जा रहा था। कुटेला भोटा नहर पुलिया के पास एक मोटर सायकल ने 3 अंजाम व्यक्ति सुपरबाइजर का रास्ता रोककर गाड़ी की चाली खींचकर मोबाइल एवं रुपए से भरा बैग लूट कर उन्हें गोली मारकर भाग गए थे। रिपोर्ट पर अंजाम आरोपी के खिलाफ पुलिया थाना में अपराध दर्ज किया गया था।

## मुख्यमंत्री आज पिथौरा और रायपुर के कार्यक्रमों में होंगे शामिल

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 8 अक्टूबर को जगदलपुर से सवारे 10:30 बजे रवाना होकर 11:20 बजे महासंगुंद जिले के विकासखंड मुख्यालय पिथौरा पहुंचे और वहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। बघेल दोपहर 12:30 बजे रायपुर पुलिस ग्रांड लैंटों और रक्षित केंद्र रायपुर और थाना परिसर आमानाका में आवास एवं नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे।

## खबरें खास

## पुरानी रजिस्टर को लेकर दो परिवारों के बीच मारपीट

न्याय साक्षी/रायगढ़। रात्रि जयराम कालोनी, गुजरातीपारा में नवरात्रि पर्व पर गरबा कार्यक्रम किया जा रहा था। इसी दरमान देर रति की 01:30 बजे पुरानी रंजिश विवाद को लेकर कुलदीप नरसिंग एवं अंकुर गोरख के परिवार के बीच मामूली बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ फिर दोनों परिवारों के लोग एक-दूसरे को गाली गलौज कर रहे डंडा और डंडा से मारपीट किये। एक पक्ष की ओर से कुलदीप नरसिंग 34 साल तथा दूसरे पक्ष की अंकुर गोरख 25 साल दोनों निवासी

## दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में बलवा का अपराध दर्ज



गुजरातीपारा कोतवाली द्वारा थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया गया, कुलदीप के रिपोर्ट पर अंकुर के परिवार के अंकुर गोरख, रिकी, बाला

गोरख के विरुद्ध तथा अंकुर गोरख की रिपोर्ट पर कुलदीप नरसिंग, अननंद नरसिंग, अकिता नरसिंग, गोविंद सेंट्री, आरोष, अननंद नरसिंग की पत्नि, अंखीलेश, अंखीलेश नरसिंग की पत्नि, अक्षय नरसिंग, चाहत टाक, उमा नरसिंग कुलदीप की मां, राज नरसिंग के विरुद्ध तथा 147, 148, 149, 294, 323, 506 आईपीसी के तहत अप.क्र. 868, 869/19 दर्ज किया गया है।

## सद्वा खाईवाल सुरेश शर्मा सरिया पुलिस की गिरफ्त में

» सद्वा रेड में कीरीब 8 लाख रुपये के सद्वा-पट्टी तथा नगदी 1 लाख 10 हजार रुपये की जाती

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक आशोष वासिनिक के नेतृत्व में सरिया थाना क्षेत्र में लागतार उल्लेखनीय पुलिसिया कार्यवाही की जा रही है। अवैध शराब, गांजा, प्रतिबंधित सिरप, जुआ-सज्जा, कबाड़ की कार्यवाही के बीच आज दिनांक 07.10.19 को थाना प्रभारी वासिनिक एवं उनके मातहत स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर सुरेश शर्मा पिता रामप्रसाद शर्मा उम्र 46 वर्ष निवासी सरिया के विरुद्ध थाना सरिया में अपराध क्रमांक 146/19 धारा 4(क) जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है साथ ही आरोपी के विरुद्ध प्रतिबंधित धारा 151 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की गई है। सरिया पुलिस द्वारा आरोपी सुरेश शर्मा के विरुद्ध पूर्व में 02 बार सद्वा एवं 02 बार 110 सीआरपीसी की कार्यवाही की जारी हुई है।

विरुद्ध थाना सरिया में अपराध क्रमांक 146/19 धारा 4(क) जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है साथ ही आरोपी के विरुद्ध प्रतिबंधित धारा 151 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की गई है। सरिया वासिनिक एवं उनके मातहत स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर सुरेश शर्मा पिता रामप्रसाद शर्मा उम्र 46 वर्ष निवासी सरिया के विरुद्ध थाना सरिया में अपराध क्रमांक 146/19 धारा 4(क) जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है। सरिया पुलिस द्वारा आरोपी सुरेश शर्मा के विरुद्ध पूर्व में 02 बार सद्वा एवं 02 बार 110 सीआरपीसी की कार्यवाही की जारी हुई है।

## पांच दिवसीय योग शिविर आयोजित

## मानसिक रूप से कमज़ोर महिला को कोसीर

## पुलिस ने उसके परिजनों को सौंपा

» 3 माह से घर से लापता थी महिला, थाना नवागढ़ में दर्ज है गुम इंसान

उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। महिला के परिजनों ने उसका नाम गणेशी सूर्यवंशी पिता फेकुराम उम्र 35 वर्ष साकिन रोगदा बताये। परिजनों ने बताया कि शारीर के कुछ दिनों बाद गणेशी की पति का निधन हो जाने स